

**कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस) के लिए
परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश
कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस)**

1. लघु शीर्षक:

संघटक कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस) कहा जा सकता है

2. उद्देश्य:

इस संघटक के उद्देश्य निम्न हैं,

उत्पादन इकाइयों को आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना जिसके फलस्वरूप उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार प्राप्त करना।

- नए “अत्याधुनिक” कयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए समर्थन करना।
- उद्योग को संभावित क्षेत्रों में फैलाना ।
- उपलब्ध कच्चे माल के वर्धित उपयोग को बढ़ावा देना ।
- रोजगार के अधिक अवसर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए सृजित करना ।
- उद्योग की ओर नई पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करना ।
- मौजूदा कयर यूनिटों का आधुनिकीकरण करना ।
- उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सहित सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और संस्थापन को बढ़ावा देना।
- उच्च मूल्य वाले ग्राहकोन्मुख उत्पादों के उत्पादन का समर्थन करना ।
- कयर उद्योग को एकीकृत और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना ।
- पर्यावरण अनुकूल उत्पादन तकनीकों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकीय प्रगति के साथ प्रदूषण मुक्त कयर उद्योग के लक्ष्य को प्राप्त करना ।

3. नोटल एजेंसी:

3.1 कयर बोर्ड, कोच्ची नोडल एजेंसी होंगे। ये संघटक कयर बोर्ड के क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। तकनीकी हस्तक्षेप जहां भी आवश्यक हो, केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलवूर और केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी), बेंगलूरू और कयर उद्योग के विकास और संवर्धन में जुड़े अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। ये संघटक पर निगरानी कयर बोर्ड और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा समय-समय रखी जाएगी।

3.2 संघटक के तहत सहायता के लिए आवेदन कयर बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय विज्ञापन विशेषकर नारियल उत्पादक क्षेत्रों में जोर देते हुए आवधिक अंतराल पर आमंत्रित किया जाएगा। वेब आधारित इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उपकरण आदि जैसे अन्य सभी प्रकार के प्रचार माध्यम से प्रचार कार्य भी किया जाएगा। संघटक को राज्य / संघ राज्य सरकार, औद्योगिक एसोसिएशन आदि के माध्यम से लोकप्रिय किया जाएगा।

3.3 इस संघटक के तहत सहायता मांगनेवाले आवेदक / लाभार्थी इकाई निर्धारित सभी प्रासंगिक विवरणों / दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करेगा।

3.4 बोर्ड के क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय अधिकारी, इकाइयों के कार्य स्थल का निरीक्षण करेंगे, दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे और दिशानिर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन की मात्रा की सिफारिश करेंगे और वित्तीय सहायता देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनकी उचित सिफारिशों को अग्रेषित करेंगे। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की जांच उपरोक्त कार्यालयों द्वारा यह जानने के लिए विधिवत की जाएगी कि क्या आवश्यकताओं का यथा अनुपालन किया गया है और आवेदन की स्वीकृति / अस्वीकृति की सूचना आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर आवेदक को भेजी जाएगी। अस्वीकृति के मामले में, उस संबंधी स्पष्ट कारण आवेदक को सूचित किया जाएगा।

4. संघटक के तहत हस्तक्षेप

4.1 संघटक के अंतर्गत सहायता व्यक्तियों / साझेदारी फर्मों, एसएचजी, एसोसिएशन, लघु उद्यम / मध्यम / सहकारी / निजी क्षेत्र / सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के उद्यमों जो मूल्य वर्धित कयर / कयर मिश्रित सामग्रियों के उत्पादन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होगी। इसमें जहां कयर प्रभावी फाइबर है , नई इकाई की स्थापना या मौजूदा संयंत्र की क्षमता में जोड़ने के लिए होगा बशर्ते कि केवल नए संयंत्र और मशीनरी में निवेश हो। एमएसएमआई अधिनियम में मध्यम स्तर के उद्यमों के लिए समय-समय पर निर्धारित निवेश सीमाओं से अधिक की जाने वाली उन इकाइयों से कोई आवेदन इस संघटक के अंतर्गत सहायता के लिए नहीं माना जाएगा।

4.2 संघटक के तहत सभी पात्र कयर इकाइयां इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर आधुनिकीकरण, उन्नयन और / या एक नई इकाई की स्थापना के लिए पात्र संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार होगा। वित्तीय सहायता कयर इकाइयों द्वारा अधिप्राप्त संयंत्र और मशीनरी की स्वीकार्य वस्तुओं की लागत का 25% होगा । वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा प्रति कयर यूनिट / परियोजना के लिए 2.5 करोड़ रूपए होगी।

4.3 निवेश की गई राशि की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से भारत में केवल रूपए में दी जाएगी। कयर यूनिट योग्य मशीन स्थापित करने के बाद संचालन शुरू करने पर राशि मुक्त की जाएगी । आवेदक इकाई किसी भी वित्तीय संस्था / बैंक / पट्टे पर देने वाले कंपनी या अपने निजी संसाधनों से संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए स्वतंत्रता होगी।

5 पात्रता:

नए रूप से स्थापित सभी कयर उत्पादन / प्रसंस्करण इकाई सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। कयर उद्योग (पंजीकरण) नियम, 2008 के तहत कयर बोर्ड के साथ पंजीकृत और उद्योग आधार वाले सभी कयर उत्पादन / प्रसंस्करण इकाई इस योजना के अधीन आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एक नई इकाई जिसने इस संघटक के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किया है/सहायता लिया है, आधुनिकीकरण के तहत सहायता के लिए आवेदन करने से पहले सफल संचालन के 5 साल पूरा करना होगा।

विवरण निम्नानुसार हैं:

- i) इस संघटक के तहत वित्तीय सहायता देश के पूरे कयर क्षेत्र को बढ़ा दी जाएगी। सहायता के लिए आवेदन करने वाली इकाइयां एमएसएमई अधिनियम के तहत लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समय-समय पर निर्धारित निवेश सीमा के भीतर होंगी।
- ii) सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी / उप क्षेत्रीय अधिकारी / कयर बोर्ड के प्रभारी इकाई के स्थान पर निरीक्षण करेंगे और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करेंगे और वित्तीय सहायता की मात्रा का आकलन करेंगे और उन मामलों की सिफारिश सही मायने में कयर बोर्ड के मुख्यालय में सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।
- iii) योजना के तहत सहायता के लिए योग्य उपकरण और मोटर बीआईएस द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों से कम नहीं होंगे।
- iv) वित्तीय सहायता की गणना के लिए 2.5 करोड़ रुपए की कुल सीमा होगी
- v) मशीनरी के विभिन्न मदों की कीमतों की उच्चतम सीमा मशीनरी मदों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले सभी घटकों की संभावित लागत के उचित आकलन करने के बाद समय-समय पर अध्यक्ष कयर बोर्ड द्वारा गठित चार सदस्यीय तकनीकी समिति (टीसी), तीन वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार के दो प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित और समीक्षा की जाएगी। चूंकि मशीनरी और उपकरण की लागत में परिवर्तन

होते हैं और मशीनरी / प्रौद्योगिकी में अतिरिक्त विकास / नवाचार संभव है , इस सूची को तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

vi) खरीदे जाने वाले मशीनरी / उपकरण बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होना चाहिए और उद्यमियों की पसंद / विकल्प से जीएसटी नंबर के साथ वैध प्राप्ति / चालान के साथ ओपन मार्केट से खरीदी जा सकती है। उच्च तकनीक की कयर प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मशीनरी का आयात भी किया जा सकता है, जिसके लिए इकाई मशीनरी के आयात के पर्याप्त कारण सिद्ध करेंगी।

vii) मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं को लाभार्थियों को कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी प्रदान करना होगा और योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करते समय प्रतिलिपि देनी होगी। आयातित मशीनरी के मामले में, इकाइयां आपूर्तिकर्ता से प्रदर्शन प्रमाण पत्र के साथ कस्टम प्राधिकरण / डीजीएफटी / बैंकों द्वारा प्रमाणित बीजक, शिपिंग बिल आदि प्रस्तुत करेंगे।

viii) आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाओं के संबंध में, स्थापित/अधिप्राप्त नई मशीनरी / उपकरणों / बिजली जनरेटर / सामग्री प्रहस्तन उपकरणों / कन्वेयर्स आदि की लागत को केवल वित्तीय सहायता की राशि की गणना के लिए परियोजना लागत पर पहुंचने के लिए लिया जाएगा।

ix) इस संघटक के तहत वित्तीय सहायता उन उद्यमियों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए पीएमईजीपी, सीयूवाई, डीपीआई, टीयूएफ आदि के तहत किसी भी केंद्रीय सरकार की सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है। सहायता के लिए आवेदन करते समय इस तरह का एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक ने इन कार्यक्रमों / संघटकों के अधीन न तो आवेदन किया है और न ही सहायता का लाभ उठाया है।

- x) बैंकों में गिरवी रखे गए मूल दस्तावेजों के मामले में, बैंक के प्रबंधक द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रतियां सहायता के लिए आवेदन के साथ जमा की जानी चाहिए।
- xi) बोर्ड के क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अनुशंसित वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले आवेदनों के मामलों को अध्यक्ष , कयर बोर्ड द्वारा बोर्ड के मुख्यालय में गठित संचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति में बोर्ड के सीसीआरआई और सीआईसीटी के प्रतिनिधियों, उद्योग के विषय विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के शामिल होंगे। संचालन समिति को दो महीने में कम से कम एक बार मिलना चाहिए।
- xii) भले ही आवेदन की जांच "प्रथम आओ और प्रथम पाओ" आधार पर की जाएगी , बशर्ते उचित दस्तावेजों की प्राप्ति हो। लाभार्थी के चयन के लिए अपना ए जाने वाले मानदंड "परियोजना संचालन समिति" द्वारा दी गई योग्यता और रैंकिंग पर होगा।

6. वित्तीय सब्सिडी के अनुदान के लिए शर्तें:

- i) इस संघटक के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कयर उत्पादन / प्रसंस्करण इकाई अपने घोषित परिसर में अपने संसाधनों से या संस्थागत ऋण प्राप्त करते हुए नई इकाई / मौजूदा इकाइयों का विस्तार, उन्नयन और आधुनिकीकरण की स्थापना के लिए उपयुक्त प्लांट और मशीनरी को स्थापित करेगा।
- ii) इस तरह के अधिग्रहण और स्थापना को योजना और विस्तार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुति के साथ इस तरह के विस्तार, उन्नयन, आधुनिकीकरण या नई इकाइयों की स्थापना के बारे में कयर बोर्ड को सूचना से ऑनलाइन द्वारा पहले किया जाएगा। कयर बोर्ड द्वारा सीसीआरआई, सीआईसीटी या किसी अन्य संस्था प्रस्तावित परियोजना / डीपीआर / यूनिट को तकनीकी रूप से अवगत यथा उपयुक्त समझा जाता है, के माध्यम से आवेदक को इसकी मंजूरी या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की पात्रता के अन्यथा सूचित करेंगे। कयर बोर्ड प्रस्ताव की जांच और मूल्यांकन के बाद आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) जारी करेगा। बोर्ड के मुख्यालय में संचालन समिति में सभी मामलों पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

iii) आवेदक को वित्त के अपने स्रोत या संस्थागत ऋण के दोनों मामलों में, उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष (विशेष परिस्थितियों में 18 महीने तक बढ़ाए जा सकता है) के भीतर दावे प्रस्तुत करना होगा।

iv) हालांकि, अध्यक्ष, कयर बोर्ड योग्यता के आधार पर मामले दर मामले में देरी के कारण को स्पष्ट करते हुए उनको प्रस्तुत लिखित अपील के आधार पर **आवेदन प्रस्तुत करने में दो वर्ष और उसके आगे "कयर बोर्ड" द्वारा तीन वर्ष तक देरी को माफ करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।**

7 योजना के तहत मशीनरी की खरीद / लागत:

7.1 कयर प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए अपेक्षित सभी संयंत्र और मशीनरी और उपकरण समय-समय पर निर्धारित बीआईएस / कयर बोर्ड मानकों के विनिर्देशों के होंगे और ये प्रतिष्ठित निर्माता के होंगे और उच्च तकनीकी मशीनरी का उपयोग करते हुए उच्च मूल्य के कयर उत्पादों की स्थापना के लिए मशीनरी के आयात के मामले में, मशीनरी के प्रदर्शन की गारंटी के साथ, सीमा शुल्क प्राधिकरण / डीजीएफटी / बैंक से मशीनरी के आयात के संबंध में सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तरह का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ये मशीनरी का उपयोग केवल कयर / मूल्य वर्धित विविधीकृत उत्पादों / कयर मिश्रित सामग्रियों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। अनुमानित लागत को क्षेत्रीय स्थितियों और मशीनरी के निर्माण के लिए इनपुट की लागत में वृद्धि के आधार पर, तकनीकी समिति द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

7.2 बिजली जनरेटर सेट / डीजल इंजन / किसी भी गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन उपकरणों ग्रामीण फीडर से अलग विद्युत पावर लाइन की स्थापना के मामले में, वर्तमान और नई इकाइयों के लिए परियोजना लागत के साथ प्रोत्साहन पर विचार किया जाएगा।

7.3 तकनीकी प्रगति , नवाचार, नई प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों , उत्पाद विविधीकरण के कारण प्रत्येक प्रकार की इकाइयों के लिए मशीनरी की श्रेणी में कोई जोड़ / संशोधन समय समय पर तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार क यर बोर्ड द्वारा सूची में जोड़ा जाएगा ।

8 सामान्य निर्देश:

क. इस संघटक के तहत संयंत्र और मशीनरी में निवेश की प्रतिपूर्ति के रूप में स्वीकार्य वित्तीय सहायता आवेदक को तभी दी जाएगी जब इकाई उत्पादन प्रारम्भ किया हो। यूनिटों की स्थापना / आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत ऋण का प्राप्त करने के मामले में , सहायता उस बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसके माध्यम से ऋण / क्रेडिट का लाभ उठाया गया है।

ख. इस संघटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी वित्तीय संस्थान / बैंक जहां से उसने यूनिट की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त किया था, को छोड़कर संपत्ति को गिरवी नहीं रखेगा।

ग. कयर इकाई को उन सामग्रियों के निपटान के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके लिए योजना के तहत सहायता प्राप्त होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर प्रोत्साहन दिया गया है।

घ. इस संघटक के तहत खरीदी गई मशीनों की पहचान करने के लिए , प्रत्येक संयंत्र / मशीन पर जिनके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है , एम्बॉसिंग / एनग्रेविंग आईडेंटिफिकेशन कोड (आईसी) बनाया जाएगा।

ड. इस संघटक के तहत प्रोत्साहन लेने वाले उद्यमी एक वचनबद्ध देंगे कि इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार की पीएमईजीपी , सीयूवाई, डीपीआई, टीयूएफ आदि जैसी किसी अन्य योजना के तहत यूनिट ने सब्सिडी / सहायता के लिए आवेदन नहीं किया है/ लिया नहीं है।

च. इस संघटक के अधीन बोर्ड से प्राप्त सहायता , उद्यमी से कानूनी साधनों के माध्यम से वसूल की जाएगी।

i. जहां तथ्यों की गलत बयानी या झूठी जानकारी प्रस्तुत करके इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त की गई है; या जहाँ यूनिट की मशीनरी और परिसरों का उपयोग सहायता की मुद्रा अवधि अर्थात् 7 साल तक , के दौरान प्राप्त सहायता से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

ii. जहां इकाई लघु अवधि के लिए जो कम से कम 6 महीने तक अपने नियंत्रणों के परे जैसे कच्चे माल की कमी , बिजली कि कमी, प्राकृतिक आपदा आदि के कारणों से उत्पादन नहीं करती है को छोड़कर उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से 7 वर्षों के भीतर उत्पादन बंद की जाती है,

छ. इस योजना के तहत प्रोत्साहन देने के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में , अध्यक्ष, कयर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

9 आवेदकों की सूची का रखरखाव:

आवेदकों की सूची को क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय और क यर बोर्ड के मुख्यालय और कयर बोर्ड की वेबसाइट पर भी बनाए रखा जाना चाहिए। क यर बोर्ड में एक डाटा बैंक बनाया जाना चाहिए।

10. निगरानी और मूल्यांकन:

इकाइयों की निगरानी कयर बोर्ड के क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा और सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष , कयर बोर्ड द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन की मध्यावधि मूल्यांकन बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय के सचिव द्वारा नियमित रूप से योजना की निगरानी की जाएगी।

फॉर्म सं. 1

कयर बोर्ड

(सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)

पी बी सं.1752, एम जी रोड, एरणाकुलम, कोची -682016

कयर उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरियों के अर्जन संबंधी

संघटक के अधीन प्रोत्साहन लेने के लिए आवेदन

भाग-क

1. आवेदक का नाम

2. अन्य विवरण

(i) जन्म तिथि :

(ii) समुदाय: अनु।जाति/अनु.जन जाति/अन्य पि. व./अल्पसंख्यक/अन्य

3. पत्र व्यवहार का पता :

पता1:

पता2:

डाकघर:

तालुक:

गाँव:

राज्य:

जिला:

पिनकोड:

दूरभाष संख्या:

4. आवेदक का आधार कार्ड संख्या:-

भाग-ख

1. (क) संगठन का नाम

मालिक / साझेदार / एसएचजी / एनजीओ / प्राइवेट लि.कंपनी/ सरकारीलि.कंपनी./ सहकारी
सोसाइटी/ अन्य *

* स्पष्ट करें-

(ख) इकाई का प्रकार

(ग) स्थापना की तारीख

दिन माह वर्ष

(घ) पंजीकरण नियमावली 2008 के अधीन कयर बोर्ड पंजीकरण

सं.								
दिनांक								

(ङ) उद्योग आधार सं:

सं.								
दिनांक								

(च) उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख

दिन माह वर्ष

साझेदारी है तो, नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित पंजीकृत साझेदारी विलेख संलग्न करें

यदि कंपनी है तो, संगम जापन और संस्था के अंतर नियम सहित कंपनी रजिस्ट्रार से
पंजीकरण प्रमाणपत्र

यदि सहकारी सोसाइटी है तो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संलग्न किया जाए।

2. यदि एनजीओ/एसएचजी है तो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न
किया जाए

3. क्या अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पि. व./महिला/अल्पसंख्यक/अन्य है

4. कार्यरत कर्मचारियों की संख्या (क) प्रत्यक्ष:

(संख्या में) (ख)परोक्ष:

5. उन्नयन और/ या लेने के लिए प्रस्तावित आधुनिकीकरण के विवरण:

(क) मशीनरी / उपकरण

मशीन का नाम	क्षमता	उत्पादन वर्ष	उत्पादक का नाम	मूल्य

बिल की सत्यापित प्रतियाँ , नकद रशीद, मशीनरी निर्माता से निष्पादन प्रमाणपत्र की प्रति, विद्युत प्राधिकारी से दस्तावेज़ संलग्न किया जाना है.

6. निधि का स्रोत

बैंक अपनी अन्य स्रोत

7. यदि निधि स्रोत अपनी स्रोतों से अलग हो तो निम्नलिखित सूचना प्रदान करें.

i. बैंक/वित्तीय य अन्य संस्थान के नाम /पता:

ii. मंजूर की गई निधि राशि: रु.

iii. मंजूर पत्र के विवरण (मंजूर पत्र की प्रति और बैंक/वित्तीय संस्थान के वित्तीय मूल्यांकन की प्रति संलग्न किया जाना है):

iv. मशीनरियों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के विवरण: राशि रु.

चैक/डी डी सं एवं दिनांक :

8. यदि निधि स्रोत अपनी स्रोतों से है तो निम्नलिखित सूचना प्रदान करें.:

i. कयर बोर्ड से प्राप्त आईपीए के विवरण (प्रति संलग्न किया जाना है):

ii. मशीनरियों की आपूर्तिकर्ता के भुगतान के: राशि रु.

चैक/डी डी सं एवं दिनांक

9. बैंक खाता के विवरण

a) बैंक नाम एवं शाखा:-

b) खाता सं. :-

(बैंक पास बुक की प्रति संलग्न की जानी है)

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/ करते/करती हैं कि मैं/हम ने इस संयंत्र/मशीनरी जिसके लिए ऊपर प्रोत्साहन का दावे किया है , के लिए भारत सरकार के किसी अन्य योजनाओं के अधीन किसी अन्य सहायता प्राप्त नहीं किया है।

मैं/हम उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित किसी अन्य दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करने के लिए एतद्वारा वचन देता/देती हूँ/ देते/देती हैं ।

मैं/हम एतद्वारा मशीनरी/उपकरणों जिसके लिए सब्सिडी का दावे किया गया है , प्रोत्साहन की प्राप्ति की तारीख से 7 वर्षों की अवधि में कयर बोर्ड की पूर्वानुमति को छोड़कर नहीं निपटाने का वचन देता/देती हूँ/ देते/देती हैं।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/ हैं कि यदि प्रोत्साहन किसी गलत सूचना के आधार पर प्राप्त किया गया है , यह पाए जाने पर , हम प्राप्त किए गए प्रोत्साहन वितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक योजना के अनुसार प्रभारित ब्याज के साथ तुरंत कयर बोर्ड को वापस करेंगे और कयर बोर्ड की कानूनी कार्रवाई के लिए दायी होंगे।

मैं/हम आगे सहमत हूँ/ हैं कि यदि वास्तविक रूप से स्वीकार्य प्रोत्साहन राशि से अधिक राशि किसी कारण वश वितरित पाए जाने पर इस योजना के अधीन मुझे/हमें वितरित प्रोत्साहन राशि तुरंत वापस करेंगे और इस तरह की राशि के लिए यथा निर्धारित उस दर में ब्याज भुगतान करने और हमें भुगतान के लिए इस तरह के अन्य प्रभार/व्यय के लिए दायी होंगे।

आवेदक के नाम और हस्ताक्षर

(मोहर)

स्थान:

दिनांक:

चार्टरित लेखाकार द्वारा जारी किए जानेवाला प्रमाणपत्र (प्रपत्र सं 1 का अनुलग्नक)

मैं/हम एतदद्वारा आवेदक सर्वश्री के लेखों और संगत अभिलेखों की जांच से प्रमाणित करता /करती हूँ/करते/करते है कि मैं/हम इसके साथ अनुलग्नक प्रपत्र सं-1 में आवेदक द्वारा दिए गए विवरण और प्रस्तुत ब्योरा निम्नलिखित टिप्पणियों को छोडकर व्यापार के सामान्य व्यवहार में आवेदक द्वारा रखे गए बहियों और अभिलेखों के अनुसार सही है ।

अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो:

चार्टरित लेखाकार का हस्ताक्षर:

फार्म का नाम :

पंजीकरण संख्या:

स्थान :

दिनांक :

(चार्टरित लेखाकार का मोहर)

कयर इकाई द्वारा दिए जानेवाला प्रमाणपत्र (प्रपत्र सं 1 का अनुलग्नक)

सर्वश्रीपता

द्वारा.....को सृजित नियत परिसंपत्तियों (मशीनरी) के लिए अनुसूचित

परिसंपत्तियों के मूल्य में लागत के अलग-अलग मूल्य शामिल हैं

क्र म सं.	संयंत्र /मशीनरी के विवरण (मद वार)	मात्रा	आदेश की तिथि	पता सहित मशीनरी निर्माता के नाम	सृजन/ग ठन की तिथि	बिल सं. एवं तिथि	सृजित/ग ठित परिसंपत्ति यों के प्रदत्त मूल्य रु.	सृजित परिसंपत्ति यों के बिल मूल्य रु

मूल (सीआईएफ/ एफओबी) मूल्य	सीमा शुल्क/ उत्पाद शुल्क	माल, बीमा और संभलाई प्रभार	बिक्री कर	गठन लागत	अन्य यदि कोई हो तो (स्पष्ट करें)	कुल
(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)	(रु.)

प्रमाणित किया जाता है कि नियत परिसंपत्तियों (मशीनरी) की अनुसूची में सूचीबद्ध परिसंपत्तियों का सृजन -----को साइट में क्रमानुसार किया है और -----को प्रचालन में लाया गया है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक/सचिव के हस्ताक्षर (मोहर) सहित

क. हम एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियत परिसंपत्तियों (मशीनरी) की जांच सर्वश्री -----द्वारा यथा प्रस्तुत लेखा बहियों, बीजकों और अनुरक्षित अन्य लेखों के साथ की है और दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण और उक्त को उसके अनुसार सही पाया गया है।

ख. हम एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री -----

-----ने उपरोक्त परिसंपत्तियों (मशीनरी) को -----से -----
-----तक की अवधि के दौरान अर्जित और संस्थापित किया है।
ग. हम आगे प्रमाणित किया जाता है कि नियत परिसंपत्तियों (मशीनरी) के उपरोक्त
मदों को लिया गया है, भुगतान के लिए प्रदान किया गया -----से -----तक
और कंपनी के संगत बहियों में प्रदर्शित किया है।

चार्टरित लेखाकर के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

फार्म का नाम :

पंजीकरण सं:

(चार्टरित लेखाकार का मोहर)